



# OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर

प्रेस नोट:-



**“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को ०३ वर्ष का कारावास एवं ०५ हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

## अपराध का विवरण:-

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में दिनांक ०२.०७.२०२१ को थाना बिलासपुर पर मु०अ०सं०- २६४/२१ धारा- ३६३,३६६,३७६,३६८,५०४,५०६ भादवि व ४/७ पॉक्सो एक्ट बनाम १. रेहान मियां पुत्र शरीफ मियां निवासी खोदलपुर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर, २. राशिद पुत्र सिकन्दर, ३. हिना पत्नी नादिर निवासी गण मौ० पीला तालाब थाना गंज, रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- ११.१०.२०२४ को मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ADJ-८, रामपुर द्वारा अभियुक्त रेहान मियां उपरोक्त **०३ वर्ष का कारावास एवं ०५ हजार रू० अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया तथा अन्य अभियुक्त गण को दोषमुक्त किया गया।

## सजा का विवरण:-

अभियुक्त रेहान मियां पुत्र शरीफ मियां निवासी खोदलपुर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर को **०३ वर्ष का कारावास एवं ०५ हजार रू० अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@rampurpolice

7839859826